



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 02 किलो 100 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पचुल्ला पुलिया के पास थैला में कुछ लिये हुए खड़ा था। पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो उसके थैले से अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

➤ 02 किलो 100 ग्राम अवैध सूखा गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शनी उर्फ गोलू पुत्र अर्जुन उर्फ भोला निवासी लुकतरा थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➤ मु0अ0सं0- 341/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री शिववीर सिंह
2. कां0 अंकित यादव
3. कां0 ऋषिराज सिंह